



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 91-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, MAY 31, 2019 (JYAISTHA 10, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मई, 2019

संख्या 13/15/2010-6टी(I).— हरियाणा मोटरयान करान अधिनियम, 2016 (2016 का 24), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6परि०(1), दिनांक 29 सितम्बर, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6परि०(1), दिनांक 29 सितम्बर, 2017 में, क्रम संख्या 3 में,—

I. तालिका में, खाना 2 तथा 3 के नीचे, शीर्ष (क) में, खंड (ii) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(ii) चालक को छोड़कर समस्त भारत पर्यटक यानों सहित बारह सीट से अधिक वाले कौन्ट्रेक्ट कैरिज”।

II. खंड (v) में,—

(i) खाना 2 के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“हरियाणा राज्य परिवहन के किसी उपक्रम (हरियाणा के निजी संचालकों को छोड़कर) द्वारा संचालित स्टैज कैरिज”;

(ii) खाना 2 तथा 3 के नीचे, उप-खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

“(घ) हरियाणा के किसी राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा शहरी बस सेवा के रूप में संचालित स्टैज कैरिज	₹ बारह हजार प्रति बस प्रति वर्ष”।
---	-----------------------------------

III. खण्ड (xi) में उप-खण्ड (ख) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

“(ग) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौन्ट्रेक्ट कैरिज (साधारण)	
(i) चालक को छोड़कर छह से बारह सीटों तक	₹ पांच हजार प्रति वर्ष
(ii) चालक को छोड़कर तेरह से बत्तीस सीटों तक	₹ आठ हजार प्रति वर्ष
(iii) चालक को छोड़कर तैंतीस तथा उससे अधिक सीटों तक	₹ दस हजार प्रति वर्ष
(घ) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौन्ट्रेक्ट कैरिज (वातानुकूलित)	
(i) चालक को छोड़कर छह से बारह सीटों तक	₹ बारह हजार प्रति वर्ष
(ii) चालक को छोड़कर तेरह से बत्तीस सीटों तक	₹ बीस हजार प्रति वर्ष
(iii) चालक को छोड़कर तैंतीस तथा उससे अधिक सीटों तक	₹ तीस हजार प्रति वर्ष”।

IV. शीर्ष (ख) में खंड (ix) तथा (x) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(ix) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौन्ट्रेक्ट कैरिज (साधारण)	
(i) चालक को छोड़कर छह से बारह सीटों तक	₹ छह हजार प्रति वर्ष
(ii) चालक को छोड़कर तेरह से बत्तीस सीटों तक	₹ दस हजार प्रति वर्ष
(iii) चालक को छोड़कर तैंतीस तथा उससे अधिक सीटों तक	₹ बारह हजार प्रति वर्ष
(x) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कौन्ट्रेक्ट कैरिज (डिलेक्स/वातानुकूलित)	
(i) चालक को छोड़कर छह से बारह सीटों तक	₹ चौदह हजार चार सौ प्रति वर्ष
(ii) चालक को छोड़कर तेरह से बत्तीस सीटों तक	₹ चौबीस हजार प्रति वर्ष
(iii) चालक को छोड़कर तैंतीस तथा उससे अधिक सीटों तक	₹ छत्तीस हजार प्रति वर्ष”।

V. तालिका में, खाना 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“4.	परिवहन वाहन (माल वाहक)	
(i)	हरियाणा में पंजीकृत माल वाहन	मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक भुगतानयोग्य वार्षिक कर की दर
(क)	सकल वाहन भार 1.2 टन से अधिक नहीं	₹ 300.00
(ख)	सकल वाहन भार 1.2 टन से अधिक किन्तु 6 टन से अधिक नहीं	₹ 7200.00
(ग)	सकल वाहन भार 6 टन से अधिक किन्तु 16.2 टन से अधिक नहीं	₹ 9600.00
(घ)	सकल वाहन भार 16.2 टन से अधिक किन्तु 18.5 टन से अधिक नहीं	₹ 11200.00
(ङ)	सकल वाहन भार 18.5 टन से अधिक किन्तु 28 टन से अधिक नहीं	₹ 17300.00
(ण)	सकल वाहन भार 28 टन से अधिक	₹ 25300.00”।

VI. क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

“11.	विभिन्न रूप से अशक्त बच्चों के लिए चलाए जाने वाले स्कूलों, जिनसे इस प्रयोजन के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जा रही है, द्वारा स्वामित्वाधीन वाहन (हरियाणा में पंजीकृत)।	शून्य”।
------	---	---------

VII. टिप्पण में, खण्ड (न) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़े जाएंगे, अर्थात् :-

“(प) हरियाणा में पंजीकृत धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाली बसों के लिए मोटर वाहन कर हरियाणा में पंजीकृत कौन्ट्रेक्ट कैरिज बसों के लिए अधिसूचित दरों का पचास प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा।

(फ) हरियाणा में पंजीकृत सामाजिक गैर-लाभकारी संगठन के स्वामित्व वाली बसों के लिए मोटर वाहन कर हरियाणा में पंजीकृत कौन्ट्रेक्ट कैरिज बसों के लिए अधिसूचित दरों का पच्चीस प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा”।

दिनांक 24-05-2019

धनपत सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 31st May, 2019

No. 13/15/2010-6T(I).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2016 (24 of 2016), the Governor of Haryana hereby further makes the following amendments in the Haryana Government, Transport Department, Notification No.13/15/2010-6T(I), dated the 29th September, 2017, namely :-

Amendment

In the Haryana Government, Transport Department, Notification No. 13/15/2010-6T(I), dated the 29th September, 2017, in serial number 3,—

I. in the table, under columns 2 and 3, under heading (A), in clause (ii), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“(ii) Contract Carriage above twelve seats including All India Tourist vehicles excluding driver.”;

II. in clause (v),—

(i) under column 2, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“Stage Carriages operated by any State Transport undertaking of Haryana (except private operators of Haryana)”;

(ii) under column 2 and 3, after sub-clause (c), the following sub-clause and entries thereagainst shall be added, namely :-

“(d) Stage Carriages operated by any State Transport Undertaking of Haryana as City Bus Services	₹ 12000/- per bus per year”
--	-----------------------------

III. in clause (xi), after clause (b), the following clauses shall be added, namely :-

“(c) Contract Carriages used by Educational Institutions (ordinary)	
(i) Having six to twelve seats excluding driver	₹ 5000/- per year
(ii) Having thirteen to thirty two seats excluding driver	₹ 8000/- per year
(iii) Having thirty three and above seats excluding driver	₹ 10000/- per year
(d) Contract Carriages used by Educational Institutions (air conditioned)	
(i) Having six to twelve seats excluding driver	₹ 12000/- per year
(ii) Having thirteen to thirty two seats excluding driver	₹ 20000/- per year
(iii) Having thirty three and above seats excluding driver	₹ 30000/- per year”

IV. under heading (B), for entries against clauses (ix) and (x), the following entries shall be substituted, namely :

“(ix) Contract Carriages used by Educational Institutions (ordinary)	
(i) Having six to twelve seats excluding driver	₹ 6000/- per year
(ii) Having thirteen to thirty two seats excluding driver	₹ 10000/- per year
(iii) Having thirty three and above seats excluding driver	₹ 12000/- per year
(x) Contract Carriages used by Educational Institutions (Deluxe A/C)	
(i) Having six to twelve seats excluding driver	₹ 14400/- per year
(ii) Having thirteen to thirty two seats excluding driver	₹ 24000/- per year
(iii) Having thirty three and above seats excluding driver	₹ 36000/- per year”

V. in the table, under columns 2 and 3, for serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“4.	Transport vehicles (Goods Carriages)	
	(i) Goods Vehicles Registered in Haryana	Rate of Annual Tax payable monthly/quarterly/yearly.
	(a) GVW not exceeding 1.2 tonne	₹ 300.00
	(b) GVW exceeding 1.2 tonne but not exceeding 6 tonnes	₹ 7200.00
	(c) GVW exceeding 6 tonne but not exceeding 16.2 tonnes	₹ 9600.00
	(d) GVW exceeding 16.2 tonnes but not exceeding 18.5 tonnes	₹ 11200.00
	(e) GVW exceeding 18.5 tonnes but not exceeding 28 tonnes	₹ 17300.00
	(f) GVW exceeding 28 tonnes	₹ 25300.00”

VI. after serial number 10 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

“11.	Vehicles owned by the schools run for differently abled children which are not charging any fees for the purpose (Registered in Haryana)	Nil”
------	--	------

VII. in the note, after clause (t), the following clauses shall be added, namely:-

- “(u) Motor Vehicle Tax for the buses owned by religious institutes registered in Haryana will be charged at the rate of fifty percent of the rates notified for Contract Carriage buses registered in Haryana;
- (v) Motor Vehicle Tax for the buses owned by Social non-profit organization Registered in Haryana will be charged at the rate of twenty five percent of the rates notified for Contract Carriage buses registered in Haryana.”.

DHANPAT SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department.

Dated: 24-05-2019